[2019] एस. सी. आर. 1016

जनम सिंह कुडाडा और अन्य

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 2575/2001)

अगस्त 27,2019

[आर. एफ. नरीमन, आर. सुभाष रेड्डी और सूर्यकान्त न्यायाधीशगण]

वाद:

यह वाद घोषणा करने के लिए कि मुकदमा के वादी मुकदमे की संपत्ति के आधे हिस्से के सही मालिक थे- इस मुकदमा में पूरे मुकदमे की संपत्ति के संबंध में डिक्री जारी की गई विल्किंसन के नियम से स्पष्ट है, कि पंचायत के बहुमत सदस्यों द्वारा पारित पुरस्कार को स्वीकार करना- अपील प्राधिकरण ने आदेश की पुष्टि की-रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-अभिनिर्धारितः-मुकदमे में वादी ने मुकदमे की संपत्ति के केवल आधे हिस्से का दावा किया था, इसलिए दावे से परे कुछ भी देने वाली डिक्री उस हद तक अलग रखी जा सकती है। कोल्हान सिविल न्याय अधिनियम की धारा-2 के आधार पर भी विल्किंसन के नियम के आधार पर किए गए समवर्ती निर्णयों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है-बिहार कोल्हन सिविल जस्टिस (विनियमन और वैधता) अधिनियम, 1978 -एस. 2.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अवधारित कियाः-

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह केवल आधी संपत्ति है जो वादी के पक्ष में थी, जैसा कि वादपत्र में संदर्भित किया गया है, जो कि मुकदमे की विषय वस्तु थी, डिक्री को इस हद तक रद्द करना होगा कि वह इसके अलावा कुछ प्रदान करे। बिहार कोल्हान सिविल जस्टिस (विनियमन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 की धारा 2 को देखते हुए, जिसे अपीलार्थियों द्वारा चुनौती

नहीं दी गई है, इस समय विल्किंसन के नियमों के आवेदन के आधार पर पारित किए गए समवर्ती निर्णयों को दरकिनार करना मुश्किल है। [पैरा 8,10] [1021-ए-बी; 1022-A]

मोरा हो वी. बनाम बिहार राज्य और अन्य ए. आई. आर. 2000 पटना 101-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ऑल इण्डिया रिपोर्टर 2000 पटना 101	संदर्भित किया गया है	पैरा 1

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 2575/2001

राँची पीठ में एवं एल.पी.ए.सं.-251/2000(आर), पटना उच्च न्यायालय की न्यायापालिका द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.07.2000 से।

अखिलेश कुमार पांडे, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

सुश्री नंदिनी सेन, देब प्रसाद मुखर्जी, जयेश गौरव, गोपाल प्रसाद उत्तरदातओ (रेसपॉन्डेन्ट) के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति

निर्णय

कुछ समय के लिए अपीलार्थियों की ओर से विद्वत वकील को सुनने के बाद, और भारत के संविधान के सुसंगत प्रावधानों, विल्किन्सन नियम और 'मोरा हो बनाम बिहार राज्य और अन्य' में पूर्ण पीठ के निर्णय को देखने के बाद, जिसे एआईआर 2000 पटना 101 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, हमारा विचार है कि इस मामले में विल्किन्सन नियमों की प्रयोज्यता और/या वैधता पर दो कारणों से विचार करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

सबसे पहले, जैसा कि सूट में अपीलार्थियों/प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वत वकील द्वारा सही ढंग से बताया गया है, सूट में दावा किया गया था कि वह केवल आधे सूट की संपत्ति थी और निम्नलिखित रूप में पूरी संपत्ति नहीं थीः

वादपत्र के पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि सुरा हो की मृत्यु निर्विवाद रूप से हो गई और पक्षकारों की पंक्तियां इस भूमि का आधा हिस्सा निम्नलिखित के लिए हकदार हो गईं।

यह वाद संपत्ति थी जिस पर वादियों ने एक घोषणा का दावा किया कि वे सही मालिक हैं और उनके कब्जे की पुष्टि के लिए, और परिणामस्वरूप, 1963 के अधिकारों के रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टि में सुधार।

वादपत्र में दावा होने के बावजूद, सिंहभूम के अपर उपायुक्त ने दिनांक 30.03.1977 के आदेश द्वारा, पंचायत के बहुमत सदस्यों के अधिनिर्णय के अनुसार वाद की डिक्री की और निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

> "इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि हाल के सर्वेक्षण और निपटान ऑपरेशन के दौरान प्रतिवादियों के नाम पर वाद भूमि को गलत तरीके से दर्ज किया गया है.सर्वेक्षण अधिकारियों ने उन दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जो वादियों के पक्ष में थे.
>
> जब वादी कोलाई हो द्वारा 5.10.20 को सीमांकन के बाद वाद भूमि के कब्जे में आते हैं, तो अमीन ने सीमांकन के खिलाफ अपील करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के पिता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की थी।उन्होंने 1139/20-21 के मामले में पारित जमानबंदी के सुधार और उत्परिवर्तन के आदेशों के खिलाफ अपील भी नहीं की। अतः सिविल मामला सं. 166-13,893-14-15,670/20-21 और 1139/20-21 में जो भी आदेश पारित किए गए हैं, वे अब भी सही हैं क्योंकि उन्हें किसी सक्षम न्यायालय द्वारा न तो रद्द किया गया है और न ही संशोधित किया गया है।वर्ष १९२१ में वादियों के वाद भूमि के कब्जे में आने के बाद यह दिखाने के लिए कि वादियों को प्रतिवादी नं. १ और प्रतिवादी नं. २ या उनके पिता द्वारा कभी

बेदखल नहीं किया गया था, अभिलेख पर कोई सबूत नहीं मिला है.इसलिए यह माना जाता है कि वादी अभी भी वाद भूमि के कब्जे में बने हुए हैं।

वादी के पक्ष में निश्चित दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो वाद भूमि पर उनके अधिकार और हित को साबित करते हैं. इस बात के भी प्रमाण हैं कि वे 1921 से मुकदमे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों में, हरीश चंद्र देवगम और डोगर देवगम नामक दो घूंसों का पुरस्कार स्वीकार किया जाता है और अल्पसंख्यक घूंसे के पुरस्कार के ऊपर बताए गए कारणों के लिए रद्द कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अधिक भरोसा किया है।

ऐसे कागजात और दस्तावेज जो पट्टे पर दिए गए हों। नतीजतन, वादियों के मुकदमे पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है.उनके पास वाद भूमि पर और वाद भूमि पर उनके कब्जे की पुष्टि होने से पहले वैध अधिकार, स्वामित्व और हित है.इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि वर्ष १९६३ में अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकारों के संबंध में ऐसी भूमि के संबंध में प्रतिवादियों के नाम में प्रविष्टियां गलत और गलत हैं."

दिनांक 06.08.1979 के एक आदेश द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी, नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), आयुक्त ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दियाः

“सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं के विद्वत वकील ने तर्क दिया कि वाद भूमि पर प्रत्यर्थियों के कब्जे की पुष्टि करने के लिए विद्वान अतिरिक्त उपायुक्त ने बहुमत से अधिक मुक्के लगाए, जो गलत था क्योंकि डिक्री अधिनिर्णय के अनुरूप होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ भी अल्ट्रा-वायरस है। उन्होंने बहुसंख्यक मुक्कों के पुरस्कार पर भी सवाल उठाया।

विलकिन्सन के नियमों के अधीन बहुमत के मुक्कों के अधिनिर्णय की स्वीकृति तब तक अनिवार्य है जब तक कि भ्रष्टाचार के आरोप साबित न हो जाएं या जब तक कि अधिनिर्णय होस की प्रथा के प्रतिकूल न हो।अतः, अपर उपायुक्त के आदेश का वह भाग, जो बहुसंख्यक मुक्कों के अधिनिर्णय के अनुरूप है,

अभिनिर्धारित किया गया है। उसने हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के दौरान तैयार किए गए अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का कारण भी दिया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थी का भूमि पर 1921 से कब्जा है। इसलिए मुझे आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। याचिका खारिज की जाती है।"

विद्वत एकल न्यायाधीश ने, अपने दिनांक 04.02.2000 के निर्णय द्वारा, इसमें अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को इस प्रकार अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दियाः

"दावा की गई राहत पर विचार करने पर, मुझे नहीं लगता है कि प्रत्यर्थी नं. २ और ३ द्वारा वाद का संज्ञान बिना अधिकार क्षेत्र के था जब पक्षकारों के बीच अधिकारों के रिगार्ड में गलत प्रविष्टि शीर्षक पर विवाद हो गया है। इसके अलावा, पक्षकार को स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की पुष्टि के लिए वाद दायर करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार, इस आधार पर, रिट याचिका में कोई बल नहीं है.

श्री खत्री द्वारा आग्रह किया गया दूसरा बिंदु यह है कि वाद को सीमा द्वारा निराशाजनक रूप से वर्जित किया गया था क्योंकि मुंडा जमाबंदी को वर्ष 1918 में और 1963 में भी वर्ष 1970 में चुनौती नहीं दी जा सकती है जब इसे नियमों के नियम 3 के तहत अनुध्यात सीमा द्वारा पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है।वाद भूमि पर अधिकार, स्वामित्व और हित की घोषणा के लिए वाद दायर किया गया था और वाद के लिए वाद हेतुक प्रतिवादियों द्वारा पैदा की गई कठिनाई के कारण था क्योंकि अधिकारों के रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि थी.ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकार के अभिलेख को निश्चित रूप से गलत तरीके से तैयार किया गया था, जो पहले से ही ऊपर उल्लिखित कोल्हान अधीक्षक द्वारा पहले किए गए निर्णय के अनुरूप था और वादियों की स्वामित्व और कब्जा पहले ही वर्ष 1914-15 में स्थापित किया जा चुका था, लेकिन राजस्व अभिलेखों को तदनुसार ठीक नहीं किया गया था और प्रतिवादियों के पास वादी के कब्जे और हक के बारे में परेशानी पैदा करने का एक हैंडल है और तब वादी के पास वाद में आने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।मुझे

नहीं लगता कि मामले की परिस्थितियों में, विल्किन्सन नियम का नियम 3 वाद भूमि पर हक की घोषणा के लिए आने में बाधा पैदा करेगा। इसके अलावा, यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि अधिनिर्णय का अधिकांश भाग तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि वह विलकिन्सन नियमों के नियम 20 के तहत अनुध्यात प्रक्रियात्मक दोष से ग्रस्त है या वह कठिनाइयों के बीच प्रचलित रीति-रिवाजों पर विचार किए बिना है।वादी के पक्ष में फैसला देने वाले बहुसंख्यक सदस्यों के खिलाफ कदाचार का कोई तर्क नहीं था।इस पहलू पर विचार किया गया है जब निचले दोनों न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णय के खिलाफ आपत्ति उठाई गई थी और समवर्ती निष्कर्षों पर आया था.इस न्यायालय के पास इस तरह के समवर्ती निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि यह क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां या चेहरे पर स्पष्ट त्रुटियां से ग्रस्त न हो। अनुलग्नक ४ और ५ में निहित दोनों निर्णयों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि दोनों प्रत्यर्थियों नं. ३ और २ ने बहुत दर्द लिया था और पक्षकारों के मामलों और बहुमत के अधिनिर्णय द्वारा किए गए निर्णय की गहराई से जांच की थी और फिर याचियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए अधिनिर्णय स्वीकार किया था. इस प्रकार, इस रिट याचिका में उठाए गए बिंदुओं का कोई महत्व नहीं है।

नतीजतन, यह रिट याचिका खारिज कर दिया है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है."

इस आदेश से दायर एक अपील को खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके लिए 27.07.2000 को आक्षेपित आदेश दिया गया था, जो इस प्रकार हैः

“हमने अपीलकर्ता के विद्वत वकील को सुना है और चुनौती के तहत आदेश का अवलोकन किया है। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा रिकॉर्ड किए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित हैं और इस प्रकार, हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं.तदनुसार, यह लेटर्स पेटेंट अपील खारिज की जाती है।”

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादपत्र के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित, वादियों के पास जाने वाली केवल आधी संपत्ति ही वाद की विषय वस्तु थी, डिक्री को इस हद तक अलग रखा जाएगा कि वह इसके अलावा कुछ भी अधिनिर्णीत करे.

इसके अलावा, हमें बिहार कोल्हान सिविल जस्टिस (रेगुलेटिंग एंड वैलिडेटिंग) एक्ट, 1978 के माध्यम से भी लिया गया है। धारा 2 में इस प्रकार कहा गया हैः

> "2. सिंहभूम जिले के सदर उपमंडल में चाइबासा नगरपालिका के अपवाद के साथ कोल्हान में कतिपय पूर्व कार्रवाई का विनियमन और विधिमान्यकरण।(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, अनुसूची के स्तंभ 1 में वर्णित अधिकारी, सिंहभूम जिले के सदर उपखंड में चाइबासा नगरपालिका के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों के अपवाद के साथ कोल्हान की स्थानीय सीमाओं के भीतर उद्भूत सिविल वादों और कार्यवाहियों के विचारण के संबंध में और उससे उद्भूत पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए अपीलों या याचिकाओं की सुनवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उन शक्तियों का विधिमान्य रूप से प्रयोग किया है जिनका प्रयोग विल्किनसन के नियम और 1838 के विनियम 13 के अधीन उसकी कॉलम 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित अधिकारी करते हैं और कोई आदेश नहीं है। उनके द्वारा पारित निर्णय या डिक्री को केवल इस आधार पर अविधिमान्य समझा जाएगा या किसी न्यायालय या किसी भी कार्यवाही में प्रश्नगत किया जाएगा कि वे इस प्रकार सशक्त नहीं थे।
>
> (2) जहां किसी न्यायालय द्वारा किसी अपील या कार्यवाही में कोई निर्णय, डिक्री या आदेश केवल इस आधार पर अपास्त कर दिया गया है कि उक्त अधिकारी को उक्त नियम के अधीन कार्य करने की कोई शक्ति या प्राधिकार नहीं है, वहां वह न्यायालय, जिसने निर्णय, डिक्री या आदेश को अपास्त किया है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर उसे किए गए आवेदन पर अपने पूर्व आदेश को अपास्त करेगा और वाद, अपील या कार्यवाही

की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा और ऐसे मामले में प्रतिप्रेषण के पश्चात् सभी पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों को समाप्त समझा जाएगा।"

इस धारा को ध्यान में रखते हुए, जिसे हमारे समक्ष अपीलार्थियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, इस समय विल्किंसंस नियमों के लागू होने के आधार पर दिए गए समवर्ती निर्णयों को अलग करना कठिन है।

तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

[आर. एफ. नरीमन] न्यायमूर्ति

[आर. सुभाष रेड्डी] न्यायमूर्ति

[सूर्य कांत] न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

27 अगस्त, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

आइटम नंबर 101 कोर्ट नंबर 5 सेक्शन Xvii

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही का अभिलेख

सिविल अपील संख्या 2575/2001

जनम सिंह कुड्डा और अन्य अपीलकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य प्रतिवादी

[तीन माननीय न्यायाधीशों के समक्ष]

तिथि: 27-08-2019 यह अपील आज सुनवाई के लिए बुलाई गई थी।

द्वाराः

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन,

न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ,

न्यायमूर्ति सूर्यकांत

अपीलकर्ताओं के लिए

श्री अखिलेश कुमार पांडे, एओआर

उत्तरदाताओं के लिए

सुश्री नंदिनी सेन, एडवोकेट

श्री देबप्रसाद मुखर्जी, एओआर

श्री जयेश गौरव, एडवोकेट

श्री गोपाल प्रसाद एओआर

वकील को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया।

इस अपील का निपटारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय के आधार पर किया गया है।

(निधि अहूजा) (आर. एस. नारायणन)

कोर्ट मास्टर (एसएच) कोर्ट मास्टर (एनएसएच)

[हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय फाइल पर रखा गया है]